

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 378]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 9, 2015/ज्येष्ठ 19, 1937

No. 378]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 9, 2015/JYAISTHA 19, 1937

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

सा.का.नि. 469(अ).—केन्द्रीय सरकार, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य निगम नियम 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य निगम (संशोधन) नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. खाद्य निगम नियम, 1965 में,—
 - (क) “18. लेखे की वार्षिक विवरणी तथा तुलन-पत्र:-” अंकों और शब्दों के स्थान पर “19. लेखे की वार्षिक विवरणी तथा तुलन-पत्र:-” अंक शब्द रखे जाएंगे;
 - (ख) “फार्म-ए”, “फार्म-बी” और “फार्म-सी” में (देखे नियम-18)” कोष्ठकों, शब्दों और अंको के स्थान पर क्रमशः “(देखें नियम-19)” कोष्ठक, शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा.सं. 2-1/89-एफ सी.II (जिल्द-IV)]

यू. के. एस. चौहान, संयुक्त सचिव

टिप्पणः मूल नियम, 1965 भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि.सं. 117(अ), तारीख 13 जनवरी, 1965 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं.सां.का.नि. 732 (अ), तारीख 29 अक्तूबर, 1999 और अधिसूचना सं.सा.का.नि. 305(अ), तारीख 6 अप्रैल, 2011 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2015

G.S.R. 469(E).—In exercise of the power conferred by section 44 of the Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Food Corporation Rules, 1965, namely:—

1. (1) These rules may be called the Food Corporations (Amendment) Rules, 2015.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Food Corporations Rules, 1965
 - (a) for the figures and words, “**18. Annual Statement of Accounts and Balance Sheet:-**” the figures and words “**19. Annual statement of Accounts and Balance Sheet:-**” shall be substituted;
 - (b) in Form `A` Form `B` and Form `C` for the brackets, words and figures “**(See Rule 18)**”, the brackets, words and figures “**(See rule 19)**”, shall respectively, be substituted.

[F. No. 2-1/89-FC.II(Vol.IV)]

U.K.S. CHAUHAN, Jt. Secy.

Note:-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 117(E), dated the 13th January, 1965 and was subsequently amended by notification vide number G.S.R. 732(E), dated the 29th October, 1999 and number G.S.R.305 (E), dated the 6th April, 2011.